झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक–08 / दन्त–07–01 / 2025 190 (8) स्वा0, राँची, दिनांक– 14/8/2025

प्रेषक,

धीरंजन प्रसाद शर्मा,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
नामकुम, राँची।

विषय–बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय, गढ़वा, झारखण्ड अन्तर्गत संचालित वनांचल डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, गढ़वा, झारखण्ड में B.D.S एवं M.D.S पाठ्यक्रम में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय, गढ़वा, झारखण्ड के अन्तर्गत संचालित वनांचल डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, गढ़वा में B.D.S एवं M.D.S पाठ्यक्रम के नामांकन हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची द्वारा प्रत्येक वर्ष Counselling के लिए निम्न रूप से सीटों का विभाजन किया गया है :–

(a) झारखण्ड राज्य के छात्र / छात्राओं के लिए – 25 प्रतिशत
(b) अखिल भारतीय से Qulified छात्र / छात्राओं के लिए – 60 प्रतिशत
(c) N.R.I द्वारा संरक्षित (Supported) छात्र / छात्राओं के लिए – 15 प्रतिशत

2. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की Counselling कंडिका-(a), (b) एवं (c) में किये गये सीटों के विभाजन के आधार पर की जायेगी।

3. Mop-up-Round की Counselling हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की Counselling के उपरान्त शेष बचे हुए सीटों को कंडिका- (b) एवं (c) को अखिल भारतीय सीट मानते हुए ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में चयनित छात्र / छात्राओं से भरा जायेगा।

4. Mop-up-Round की Counselling एवं नामांकन के अंतिम तिथि के बीच कम से कम एक सप्ताह का अंतर रखा जाय।

5. Mop-up-Round की Counselling के उपरान्त शेष बचे हुए सीटों की संख्या की सूचना झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा विभाग एवं बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय, गढ़वा, झारखण्ड को दी जायेगी तथा झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा उन बचे सीटों का पुनः Special Round की Counselling, All India Merit List के आधार पर की जायेगी, जिसके लिए झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर Online के माध्यम से All India Merit List के आधार पर आवेदन प्राप्त की जायेगी एवं Merit List बनाकर संबंधित विश्वविद्यालय को नामांकन हेतु भेजी जायेगी।

6. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

DPS 13.8.25

(धीरंजन प्रसाद शर्मा)
सरकार के अवर सचिव